2018 का विधेयक संख्यांक 140

[दि शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स (प्रिवेंशन आफ एट्रोसिटीज) अमेंडमेंट बिल, 2018 का हिन्दी अनुवाद]

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2018

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

नई धारा 18क का अंत:स्थापन ।

2. अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 18 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-- 1989 का 33

किसी जांच या अनुमोदन का आवश्यक न होना।

"18क. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए,--

(क) किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी ; या

(ख) यदि आवश्यक हो, ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी से पूर्व अन्वेषक अधिकारी को किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी,

जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने का अभियोग लगाया गया है और इस अधिनियम या संहिता के अधीन उपबंधित प्रक्रिया से भिन्न कोई प्रक्रिया लागू नहीं होगी ।

(2) किसी न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश या निदेश के होते हुए भी, संहिता की धारा 438 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन किसी मामले को लागू नहीं होंगे ।"।

उद्देश्यों और कारणों के कथन

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (उक्त अधिनियम) को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचार के अपराधों के किए जाने के निवारण की दृष्टि से और ऐसे अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों और अनन्य विशेष न्यायालयों का उपबंध करने के लिए तथा ऐसे अपराधों के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास के लिए अधिनियमित किया गया था । उक्त अधिनियम को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को वृहत्तर न्याय के परिदान के उद्देश्य से वर्ष 2015 में संशोधित किया गया था ।

2. एक हाल ही के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी अपराध के किए जाने के संबंध में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्टर करने से पहले पुलिस उप अधीक्षक द्वारा यह पता लगाने के लिए कि क्या अभिकथनों से उक्त अधिनियम के अधीन कोई मामला बनता है, एक प्रारंभिक जांच की जाएगी और ऐसे अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से पहले किसी समुचित प्राधिकारी का अनुमोदन अभिप्राप्त किया जाएगा ।

3. तथापि, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में यह उपबंध है कि किसी अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक सूचना, यदि दी गई है, तो उसे लेखबद्ध किया जाएगा और जहां अन्वेषक अधिकारी के पास कोई अपराध कारित करने के संदेह का कारण है तो वह किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और ऐसी किसी सूचना को लेखबद्ध करने से पहले प्रारंभिक जांच करने की या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले किसी प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है । इसके अतिरिक्त, ऐसी प्रारंभिक जांच और अनुमोदन से आरोप पत्र फाइल करने में विलंब ही होगा ।

4. कई निर्णयों में यथा निर्वचित दंड विधि शास्त्र के सिद्धांतों और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 41 से यह परिणाम निकलता है कि एक बार जब अन्वेषक अधिकारी के पास यह संदेह करने का कारण है कि कोई अपराध किया गया है, तो वह अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकता है । अन्वेषक अधिकारी से गिरफ्तार करने या गिरफ्तार न करने का यह विनिश्चय नहीं छीना जा सकता ।

5. पूर्वोक्त दृष्टि से लोकहित में यह समीचीन है कि यथास्थिति, किसी अपराध के कारित किए जाने के संबंध में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण या किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की बाबत किसी प्रारंभिक जांच या किसी प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध लागू किए जाएं ।

6. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
2 अगस्त, 2018

थावर चंद गहलोत

MGIPMRND—1342LS(CRC)—2-8-2018.